

विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्तावों तथा अन्य विविध प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 31 मई, 2007 को पूर्वाह्न 10.30 बजे आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 12वीं बैठक का कार्यवृत्त

अधिसूचित / अनुमोदित एसईजेड के संबंध में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्तावों तथा अन्य विविध अनुरोधों पर विचार करने के लिए एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की बारहवीं (12वीं) बैठक श्री गोपाल के पिल्लई, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 31 मई, 2007 को पूर्वाह्न 10.30 बजे कमरा नंबर 108, उद्योग भवन, नई दिल्ली में हुई। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट I)।

2. अध्यक्ष ने अनुमोदन बोर्ड की बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया तथा सूचित किया कि अधिसूचित एसईजेड की संख्या अब बढ़कर 111 हो गई है। उन्होंने सूचित किया कि इन 111 एसईजेड में 35000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है तथा 32000 से अधिक नौकरियों का सृजन हुआ है। उन्होंने सूचित किया कि 2007 के अंत तक नौकरियों की संख्या बढ़कर 100000 हो जाने की संभावना है जबकि 2007-08 में 67300 करोड़ रुपए का निर्यात होने की संभावना है। उन्होंने सूचित किया कि अतिरिक्त रोजगार प्रदान करके और देश में निवेश के माध्यम से एसईजेड से अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने की उम्मीद है।

3. इसके बाद चर्चा के लिए एजेंडा की मर्दे ली गई जो इस प्रकार हैं :

(क) औपचारिक अनुमोदनों के लिए निर्णय :

1. ग्राम नगवारा, बंगलौर उत्तर तालुक, कर्नाटक में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस / बीपीओ के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए कार्ले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का अनुरोध (क्रम संख्या 2) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम नगवारा, बंगलौर उत्तर तालुक, कर्नाटक में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में कार्ले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स द्वारा आईटी / आईटीईएस / बीपीओ के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

2. पुणे, महाराष्ट्र में 24 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए डीएलएफ आकृति इंफोपार्क (पुणे) लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 3) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने पुणे, महाराष्ट्र में 24 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में डीएलएफ आकृति इंफोपार्क (पुणे) लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

3. ग्राम सोननहल्ली, के आर पुरम होबली, बंगलौर पूर्व तालुक, कर्नाटक में 14.54 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सलारपुरिया प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 5) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम सोननहल्ली, के आर पुरम होबली, बंगलौर पूर्व तालुक, कर्नाटक में 14.54 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सलारपुरिया प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

4. सोननहल्ली, पुराना महाबलीपुरम रोड, चेन्नई, तमिलनाडु में 10.37 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए ईटीए टेक्नोपार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 6) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने सोननहल्ली, पुराना महाबलीपुरम रोड, चेन्नई, तमिलनाडु में 10.37 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ईटीए टेक्नोपार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

5. रंगारेड्डी, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में 20.23 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए जेनपैक्ट इंडिया का अनुरोध (क्रम संख्या 7) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने रंगारेड्डी, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में 20.23 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जेनपैक्ट इंडिया द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

6. सेरीलिंगमपल्ली मंडल, जिला रंगारेड्डी, आंध्र प्रदेश में 10.218 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए नवयुग लीगला एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 8) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने सेरीलिंगमपल्ली मंडल, जिला रंगारेड्डी, आंध्र प्रदेश में 10.218 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में नवयुग लीगला एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

7. माहुल, मुंबई, महाराष्ट्र में 12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए बांबे इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन का अनुरोध (क्रम संख्या 14) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने माहुल, मुंबई, महाराष्ट्र में 12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बांबे इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

8. गोपालपुर, जिला गंजम, उड़ीसा में 1173 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए गोपालपुर स्पेशल इकोनामिक जोन लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 15) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने गोपालपुर, जिला गंजम, उड़ीसा में 1173 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में गोपालपुर स्पेशल इकोनामिक जोन लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

9. ग्राम भोसारी (भोजापुर), तालुक हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र में 12.14 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सिद्धिविनायक नालेज सिटी डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 20) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम भोसारी (भोजापुर), तालुक हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र में 12.14 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सिद्धिविनायक नालेज सिटी डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

10. कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में 11.78 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस / बीपीओ के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए चेन्नई बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 21) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में 11.78 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में चेन्नई बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस / बीपीओ के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

11. छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश में 18.9 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए राइटर्स एंड पब्लिशर्स लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 22) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश में 18.9 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में राइटर्स एंड पब्लिशर्स लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

12. 15, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली में 10.06 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए शिवाजीमार्ग प्रापर्टीज लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 23) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तथापि, अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि प्रस्तावित भूमि पर कुछ इमारतें मौजूद हैं और विकासक ने उनको गिराने का वचन दिया है। इस शर्त के अधीन, अनुमोदन बोर्ड ने 15, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली में 10.06 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में शिवाजीमार्ग प्रापर्टीज लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

13. थाणे, महाराष्ट्र में 15 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए दोस्ती एंटरप्राइजेज का अनुरोध (क्रम संख्या 24) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि केवल 15 हेक्टेयर भूमि पर विकासक का स्वामित्व है, जबकि 45 हेक्टेयर के लिए आवेदन किया गया है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने थाणे, महाराष्ट्र में 15 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में दोस्ती एंटरप्राइजेज द्वारा आईटी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

14. मौजे पिंपरी बुडरुक, तालुक खेड़, राजगुरुनगर, जिला पुणे, महाराष्ट्र में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए बिलकेयर लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 25) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने मौजे पिंपरी बुडरुक, तालुक खेड़, राजगुरुनगर, जिला पुणे, महाराष्ट्र में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बिलकेयर लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए

क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

15. वेरना, गोवा में 13.28 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्लैनेटव्यू मर्केटाइल कंपनी लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 27) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने वेरना, गोवा में 13.28 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में प्लैनेटव्यू मर्केटाइल कंपनी लिमिटेड द्वारा रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

16. वेरना, गोवा में 48.48 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए इनोक्स मर्केटाइल कंपनी लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 28) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने वेरना, गोवा में 48.48 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इनोक्स मर्केटाइल कंपनी लिमिटेड द्वारा जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

17. सर्गासन (सरखेज - गांधीनगर हाईवे), तालुक गांधीनगर, जिला गांधीनगर, गुजरात में 52.61 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए शिवगंगा रीयल एस्टेट होल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 29) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने सर्गासन (सरखेज - गांधीनगर हाईवे), तालुक गांधीनगर, जिला गांधीनगर, गुजरात में 52.61 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में शिवगंगा रीयल एस्टेट होल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

18. सनाथाल (सरखेज - बावला हाईवे), तालुक सानंद, जिला अहमदाबाद, गुजरात में 10.72 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सिटी गोल्ड रीयल्टी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 30) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने सनाथाल (सरखेज - बावला हाईवे), तालुक सानंद, जिला अहमदाबाद, गुजरात में 10.72 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सिटी गोल्ड रीयल्टी प्राइवेट लिमिटेड

द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

19. एसजी हाईवे पर दंताली गांव, अहमदाबाद, गुजरात में 20 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए अडानी टाउनशिप एंड रीयल एस्टेट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 32) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने एसजी हाईवे पर दंताली गांव, अहमदाबाद, गुजरात में 20 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अडानी टाउनशिप एंड रीयल एस्टेट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

20. बायोटेक पार्क, सावली जीआईडीसी एस्टेट, ग्राम मंजुसर, जिला वडोदरा, गुजरात में 14.73 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए गुजरात औद्योगिक विकास निगम का अनुरोध (क्रम संख्या 33) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने बायोटेक पार्क, सावली जीआईडीसी एस्टेट, ग्राम मंजुसर, जिला वडोदरा, गुजरात में 14.73 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में गुजरात औद्योगिक विकास निगम द्वारा जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

21. शिरपुर, जिला धूलिया, महाराष्ट्र में 12.98 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए शिरपुर गोल्ड रिफाइनरी लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 35) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने शिरपुर, जिला धूलिया, महाराष्ट्र में 12.98 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में शिरपुर गोल्ड रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

22. कानपुर, उत्तर प्रदेश में 103.7 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में वस्त्र के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी) का अनुरोध (क्रम संख्या 37) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने कानपुर, उत्तर प्रदेश में 103.7 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी) द्वारा वस्त्र के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

23. कानपुर, उत्तर प्रदेश में 103.9 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में लेदर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी) का अनुरोध (क्रम संख्या 38) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने कानपुर, उत्तर प्रदेश में 103.9 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी) द्वारा लेदर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

24. कानपुर, उत्तर प्रदेश में 102.8 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इंजीनियरिंग माल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी) का अनुरोध (क्रम संख्या 39) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने कानपुर, उत्तर प्रदेश में 102.8 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी) द्वारा इंजीनियरिंग माल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

25. एसईजेड अधिनियम 2005 के लागू होने से पूर्व प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की पुष्टि, 11.58 हेक्टेयर में एसईजेड की स्थापना के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन के औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तन तथा मैसर्स आईएसटी लिमिटेड से नाम बदलकर गुड़गांव इनफोस्पेस लिमिटेड करने के लिए अनुरोध (पूरक एजेंडा 1 का क्रमांक 15)

अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड अधिनियम से पूर्व प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की पुष्टि तथा आईएसटी लिमिटेड से नाम बदलकर गुड़गांव इनफोस्पेस लिमिटेड करने के लिए विकासक के अनुरोध को नोट किया और उसे मंजूरी प्रदान की।

अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि अब परियोजना के लिए अपेक्षित 11.58 हेक्टेयर की संपूर्ण भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने 11.58 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में गुड़गांव इन्फोस्पेस लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

(2) सैद्धांतिक अनुमोदनों के लिए निर्णय :

1. गंधिंगलाज, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मेटल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए ग्रीमैक इन्फ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 11) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि राज्य सरकार ने केवल सैद्धांतिक अनुमोदनों के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने गंधिंगलाज, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्रीमैक इन्फ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा मेटल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

2. नरदाना, महाराष्ट्र में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में वस्त्र के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औस्ट्रल कोक एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 12) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि राज्य सरकार ने केवल सैद्धांतिक अनुमोदनों के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने नरदाना, महाराष्ट्र में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में औस्ट्रल कोक एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा वस्त्र के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

3. अलवर, राजस्थान में 1000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए एसआरएम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 16) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि राज्य सरकार ने केवल सैद्धांतिक अनुमोदनों के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने अलवर, राजस्थान में 1000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एसआरएम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

4. मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में 120 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पर्यटन आधारित एसईजेड स्थापित करने के लिए स्किल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 26) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि राज्य सरकार ने केवल सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में 120 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में स्किल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा पर्यटन आधारित एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

5. नीमराणा, अलवर जिला, राजस्थान में 323.9 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सोसाइटी फार इनोवेटिव एजुकेशन एंड डवलपमेंट (ईएमपीआई विट्टल सेंटर इनोपोलिस) का अनुरोध (क्रम संख्या 36) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि राज्य सरकार ने केवल सैद्धांतिक अनुमोदनों के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने नीमराणा, अलवर जिला, राजस्थान में 323.9 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सोसाइटी फार इनोवेटिव एजुकेशन एंड डवलपमेंट (ईएमपीआई विट्टल सेंटर इनोपोलिस) द्वारा बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

6. कानपुर, उत्तर प्रदेश में 104 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में दरी एवं हस्तशिल्प के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी) का अनुरोध (क्रम संख्या 40) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि राज्य सरकार ने केवल सैद्धांतिक अनुमोदनों के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने कानपुर, उत्तर प्रदेश में 104 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी) द्वारा दरी एवं हस्तशिल्प के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

(3) आस्थगन के लिए निर्णय :

1. विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र में 101 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में विजयदुर्ग शिपयार्ड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा शिप निर्माण, शिप मरम्मत और सहायक उद्योग के लिए क्षेत्र विशिष्ट उद्योग की स्थापना के लिए अनुरोध (क्रम संख्या 1) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि विकासक द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र के रूप में अधिसूचित है और इसलिए विकासक से कहा गया है कि वह अपनी लोकेशन यहां से शिफ्ट करे। इसे ध्यान में रखते हुए अनुरोध आस्थगित कर दिया गया। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

2. रंगारेड्डी, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में 10.11 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए पार्श्वनाथ डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 4) :

अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया गया कि इस मामले में अब भूमि दस्तावेज प्राप्त हो गई हैं तथा उसे सभी सदस्यों को परिचालित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा नोट किया गया कि सेक्टर

जैव प्रौद्योगिकी, न कि बायोटेक फर्मा होगा। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया तथा भूमि दस्तावेज परिचालित करने का निर्देश दिया।

3. अंजार तालुक, जिला भुज, गुजरात में 1012 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 9) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि विकासक गुजरात में एक बड़ा ग्रुप है। तथापि, अनुमोदन बोर्ड के समक्ष ग्रुप के निवल मूल्य से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है, जिसे विकासक से मंगाने की आवश्यकता है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

4. त्रिवेणी नगर, बडक्कापट्ट, डाकघर सिंगापेरुमल कोली चेंगलपट्ट, चेन्नई, तमिलनाडु में 42.49 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए ब्लू विजन कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 10) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि विकासक द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र किसी अन्य उद्योग के लिए अधिसूचित है और यह कि इस पर और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

5. ग्राम महादेवना और ग्राम कादिर पठारी, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में लेदर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए डाल्फिन डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 13) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि उनके द्वारा भेजा गया पिछला आवेदन अब वापस ले लिया गया है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

6. ग्राम लोनीकंड, हवेली तालुक, जिला पुणे, महाराष्ट्र में 23 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सिद्धिविनायक नालेज सिटी डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 19) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का अनुरोध किया। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

7. गौतमबुद्ध नगर, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में 2024 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए शिप्रा एस्टेट लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 31) :

तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

8. परगना एवं तहसील भदोही, जिला संत रविदास नगर (भदोही), वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 208 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पूर्वांचल स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड टेक्सटाइल पार्क लिमिटेड द्वारा टेक्सटाइल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए अनुरोध (क्रम संख्या 34) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि उनके द्वारा भेजा गया पिछला आवेदन अब वापस ले लिया गया है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

9. ग्राम पुरवा और भीटा, जबलपुर, मध्य प्रदेश में 76 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (एमपीएसईडीसी) का अनुरोध (क्रम संख्या 17) :

प्रस्तावित भूमि के संस्पर्शी होने के संबंध में कुछ शंका व्यक्त की गई, जिस पर और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि जो एजेंडा की इस मद पर चर्चा में बाद में शामिल हुआ, ने स्पष्ट किया कि भूमि संस्पर्शी है। तथापि, चूंकि विस्तृत चर्चा नहीं हो सकी इसलिए तदनुसार अनुमोदन बोर्ड ने 5 जून 2007 को आयोजित होने वाली अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक के लिए प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

10. बडवई, एयरपोर्ट के पास, भोपाल, मध्य प्रदेश में 206.44 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (एमपीएसईडीसी) का अनुरोध (क्रम संख्या 18) :

प्रस्ताव पर चर्चा के समय राज्य सरकार के प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में, जो बाद में बैठक में शामिल हुए, अनुमोदन बोर्ड ने 5 जून 2007 को आयोजित होने वाली अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक के लिए प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

पूरक एजेंडा I :

मद संख्या 1 : सह विकासक के लिए प्रस्ताव

(i) नवी मुंबई एसईजेड में सह विकासक के लिए प्रस्ताव :

नोट किया गया कि इस मामले में सह विकासकों के अनुमोदन के मुद्दे पर नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड के मामले में सैद्धांतिक अनुमोदन के औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तन के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद ही विचार किया जा सकता है, जिस पर 9 मई 2007 को आयोजित

अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विचार किया गया और आस्थगित कर दिया गया तथा पूरक एजेंडा 2 की मद संख्या 10 के रूप में सूचीबद्ध है।

राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों ने सूचित किया कि चूंकि सह विकासक को विकासक के समान दर्जा प्रदान किया गया है इसलिए अनुमोदन बोर्ड के सचिवालय को प्रस्तावों के समुचित मूल्यांकन / जांच के लिए ऐसे मामलों में एजेंडा में आवेदन, परियोजना रिपोर्ट आदि सहित पेपर परिचालित करना चाहिए। सदस्य सचिव ने सूचित किया कि प्रस्ताव निरपवाद रूप से परिचालित किए जा रहे हैं परंतु भविष्य में बेहतर अनुपालन के लिए समुक्तियां नोट कर ली गई हैं।

(ii) रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स एमार हिल्स टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के रूप में मैसर्स एमार एमजीएफ लैंड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स एमार हिल्स टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के रूप में मैसर्स एमार एमजीएफ लैंड प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध पर विचार किया और उसे मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 2 : नाम में परिवर्तन / पहले प्रदान किए गए अनुमोदन के हस्तांतरण के लिए अनुरोध

(i) आईआरईओ इनवेस्टमेंट होल्डिंग 3 लिमिटेड से नाम बदलकर जीपी रियल्टर्स लिमिटेड करने के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने आईआरईओ इनवेस्टमेंट होल्डिंग 3 लिमिटेड से नाम बदलकर जीपी रियल्टर्स लिमिटेड करने के अनुरोध पर विचार किया और उसे मंजूरी प्रदान की।

(ii) नूजीवीडू सीड्स प्राइवेट लिमिटेड से नाम बदलकर जिलियन एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नूजीवीडू सीड्स प्राइवेट लिमिटेड से नाम बदलकर जिलियन एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड करने के अनुरोध पर विचार किया और उसे मंजूरी प्रदान की।

(iii) मैसर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड को औपचारिक अनुमोदन हस्तांतरित करने के लिए मैसर्स महिंद्रा गोस्को डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने मूल कंपनी मैसर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड को औपचारिक अनुमोदन हस्तांतरित करने के लिए मैसर्स महिंद्रा गोस्को डवलपर्स लिमिटेड के अनुरोध पर विचार किया और उसे मंजूरी प्रदान की।

(iv) सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने तथा विकासक का नाम बदलने के लिए मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने झज्जर में उनके एसईजेड के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अनुरोध पर विचार किया और उसे मंजूरी प्रदान की। तथापि, अनुमोदन बोर्ड ने निर्देश दिया कि एसईजेड के अधिकतम आकार की सीमा निर्धारित करने के संबंध में सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए एसईजेड का अधिकतम आकार 10000 हेक्टेयर के मूलतः अनुमोदन के विरुद्ध घटाकर 5000 हेक्टेयर किया जाएगा। अनुमोदन बोर्ड ने विकासक का नाम मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से बदलकर रिलायंस हरियाणा एसईजेड लिमिटेड करने के लिए भी मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 3 : एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए अनुरोध

- (i) कोलकाता में क्षेत्र विशिष्ट आईटी / आईटीईएस एसईजेड की स्थापना के लिए एसईजेड का क्षेत्रफल 10.12 हेक्टेयर से बढ़ाकर 19.57 हेक्टेयर करने के लिए मैसर्स यूनीटेक हाइटेक स्ट्रक्चर्स लिमिटेड से अनुरोध
- (ii) गेटर नोएडा में क्षेत्र विशिष्ट आईटी / आईटीईएस एसईजेड की स्थापना के लिए एसईजेड का क्षेत्रफल 16.76 हेक्टेयर से बढ़ाकर 30.25 हेक्टेयर करने के लिए मैसर्स यूनीटेक इनफ्राकॉन लिमिटेड से अनुरोध
- (iii) एनएच 1 पर राय - सोनीपत कुंडली मल्टी फंक्शनल कोरिडोर में बहु उत्पाद एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स यूनीटेक हरियाणा एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

उपर्युक्त मदें वापस ले ली गईं क्योंकि पिछली बैठकों में इन पर विचार किया जा चुका है और मंजूरी प्रदान की गई है।

(iv) क्षेत्रफल में 76.10 हेक्टेयर की वृद्धि तथा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विशाल क्षेत्र के साथ एसईजेड अधिसूचित किया गया है और अधिसूचना के प्रयोजनार्थ क्षेत्रफल को 49 हेक्टेयर से बढ़ाकर 76.10 हेक्टेयर करने के लिए मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

(v) अहमदाबाद, गुजरात में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स गणेश इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने 10.73 हेक्टेयर की अतिरिक्त भूमि शामिल करके प्रस्तावित एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि करने के लिए मैसर्स गणेश इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 21.11 हेक्टेयर हो जाएगा।

(vi) रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मौजूदा अधिसूचित आईटी / आईटीईएस एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स एमार हिल्स टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने 3.14 हेक्टेयर भूमि शामिल करके अधिसूचित एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स एमार हिल्स टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की जिससे कुल क्षेत्रफल 13.47 हेक्टेयर हो जाएगा।

(vii) शास्त्री पार्क, नई दिल्ली में मौजूदा आईटी / आईटीईएस एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने शास्त्री पार्क, नई दिल्ली में मौजूदा आईटी / आईटीईएस एसईजेड का क्षेत्रफल 6 हेक्टेयर से बढ़ाकर 12 हेक्टेयर करने के लिए मैसर्स दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध :

सदस्य सचिव ने सूचित किया कि चूंकि 27 अक्टूबर 2006 से अनुमोदन बोर्ड की नियमित बैठकें आयोजित नहीं हो सकीं और भूमि अधिग्रहण से संबंधित नीति स्पष्ट नहीं है, इसलिए सैद्धांतिक अनुमोदन के धारक विकासकों ने काफी संख्या में वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है क्योंकि वे अनुमोदन के एक साल के अंदर औपचारिक अनुमोदन के लिए आवेदन करने में समर्थ नहीं हुए हैं। तदनुसार, पूरक एजेंडा 2 की मद संख्या 2 के रूप में एक सामान्य एजेंडा मद शामिल की गई है। अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा निर्णय लिया कि ऐसे सभी मामले जहां :

- (i) अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध एलओए की अवधि समाप्त होने से पूर्व दाखिल किए गए हैं तथा
- (ii) जहां भूमि अधिग्रहण / क्रय आदि जैसे प्रस्ताव के कार्यान्वयन के लिए कदम उठाए गए हैं,

मंजूरी पत्र की अवधि मूल वैधता अवधि के बाद 1 और साल के लिए बढ़ाई जा सकती है। यह भी निर्णय लिया गया कि सैद्धांतिक एलओए प्रदान करते समय 5000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के लिए प्रदान किए गए किसी अनुमोदन को 5000 हेक्टेयर पर सीमित किया जाए ताकि ऐसे सभी अनुमोदन इस संबंध में सरकार के निर्णय के अनुरूप हो सकें।

मद संख्या 4 : हल्दिया में एफटीडब्ल्यूजेड परियोजना के लिए लगभग 3 माह के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के लिए फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मद संख्या 5 : सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड का अनुरोध

मद संख्या 6 : सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने तथा पलवल एसईजेड को मूलतः चयनित स्थान से नए स्थान पर ले जाने के लिए मैसर्स डीएस कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड का अनुरोध

इस संबंध में अनुमोदन बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन के अधीन सामान्य निर्णय के अनुसार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए उपर्युक्त सभी तीन मदों को मंजूरी प्रदान की गई।

अनुमोदन बोर्ड ने पलवल एसईजेड को मूलतः चयनित साइट से उसी जिले में नई साइट पर स्थानांतरित करने के लिए मैसर्स डीएस कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड के अनुरोध पर भी विचार किया और मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 7 : कर्नाटक में भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुद्दा

कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि ने अपनी राज्य सरकार की भूमि अधिग्रहण नीति प्रस्तुत की जो राज्य में ऐसे व्यक्तियों द्वारा भूमि के क्रय को अनुमत नहीं करती है जो किसान नहीं हैं। चूंकि विकासक एसईजेड के अनुमोदन से पूर्व भूमि के स्वामी नहीं हो सकते हैं, इसलिए राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने कहा कि कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस प्रस्तावों को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया जाए।

अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि अनुमोदन बोर्ड के आंतरिक निर्णय के अनुसार आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए विशेष रूप से इसलिए कोई सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान नहीं किया जा रहा है क्योंकि ऐसे मामलों में केवल 10 हेक्टेयर भूमि शामिल होती है। उन्होंने राज्य सरकार के प्रतिनिधि को सुझाव दिया कि केआईएडीबी विकासक द्वारा चिह्नित भूमि को उसी ढंग से आवंटित कर सकता है जिस तरह केआईएडीबी आईटी या अन्य उद्योग को भूमि आवंटित करता है। ऐसा आवंटन प्राप्त कर लेने के बाद विकासक आईटी / आईटीईएस एसईजेड की स्थापना के लिए आवेदन कर सकता है।

मद संख्या 8 : रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स एपीआईआईसी द्वारा भवन उत्पादों के लिए एसईजेड की स्थापना के लिए प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने स्पष्ट किया कि विशिष्ट क्षेत्र जिसमें रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में एपीआईआईसी द्वारा एसईजेड स्थापित किया जाना है, जो भवन उत्पाद के रूप में अनुमोदित किया गया है, नेचुरल और कंपाउंड स्टोन प्रोडक्ट के निर्माण के लिए होगा।

मद संख्या 9 : नई दिल्ली में मैसर्स शिवाजीमार्ग प्रापर्टीज लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना

यह मद वापस ले ली गई क्योंकि इस पर विचार किया जा चुका है और औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है (मुख्य एजेंडा की मद संख्या 23)।

मद संख्या 10 : रिसाइकलिंग और निर्यात के लिए अतिरिक्त उत्पादों को शामिल करने के लिए मैसर्स पूजा स्क्रेप इंडस्ट्रीज का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव की जांच की तथा उसे अस्वीकार कर दिया।

मद संख्या 11 : इंदौर, मध्य प्रदेश में कृषि आधारित एसईजेड की स्थापना के लिए मैसर्स यूनाइटेड इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में अनुमोदन बोर्ड के कार्यवृत्त में संशोधन

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि 222.575 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स यूनाइटेड इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किए जाने वाले एसईजेड का सेक्टर कृषि आधारित है तथा कार्यवृत्त में संशोधन को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 12 : पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए मैसर्स कुमार बिल्डर्स टाउनशिप वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव - राज्य सरकार की सिफारिश

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि पुणे, महाराष्ट्र में मैसर्स कुमार बिल्डर्स टाउनशिप वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस एसईजेड की स्थापना के लिए राज्य सरकार की सिफारिश अब प्राप्त हो गई है जिससे अनुमोदन पत्र में निर्धारित शर्त पूरी हो गई है।

मद संख्या 13 : तीन क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सामाजिक अवसंरचना की मात्रा के लिए मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी का अनुरोध

विकासक के प्रतिनिधि ने अपने अनुरोध को स्पष्ट करते हुए प्रस्तुति दी तथा बताया कि सभी तीन एसईजेड जो समीपवर्ती भूमि पर स्थित हैं, के लिए सामाजिक अवसंरचना के निर्माण के स्थान पर उनका अनुरोध एक एसईजेड में तीनों एसईजेड के लिए अपेक्षित सभी सुविधाओं का निर्माण करने की अनुमति प्रदान करने के लिए है। विकासक ने बताया कि एसईजेड चेन्नई से काफी दूर है और दूरस्थ क्षेत्र में स्थित है इसलिए होटल, अस्पताल आदि के लिए अवसंरचना के लिए अनुरोध की गई मात्रा उचित है। चर्चा के बाद अनुमोदन बोर्ड ने इस शर्त के अधीन अनुरोध को मंजूरी प्रदान की कि क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड जिसमें सामान्य सामाजिक अवसंरचना का निर्माण किया जाना है, में 50 प्रतिशत

प्रसंस्करण क्षेत्र का होना अनिवार्य है। इस शर्त के अधीन निम्नलिखित अधिकृत गतिविधियों के लिए मंजूरी प्रदान की गई :

1. 15000 मकान - प्रत्येक फेज में 20 प्रतिशत के फेज में अनुमत किया जाएगा जो प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिभोग से संबद्ध होगा।
2. 300 कमरों के साथ होटल
3. 80000 वर्गमीटर का शॉपिंग कम्प्लेक्स
4. 10 बिस्तर के साथ मेडिकल सेंटर / क्लीनिक

निर्णय लिया गया कि अस्पताल के लिए उनके अनुरोध पर बाद में विचार किया जाएगा यदि इसके लिए आवश्यकता उत्पन्न होगी।

मद संख्या 14 : साइबर सिटी, गुड़गांव, हरियाणा में क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में एफडीआई के अनुमोदन के लिए अनुरोध

साइबर सिटी, गुड़गांव, हरियाणा में क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में एफडीआई के अनुमोदन के लिए अनुरोध को नोट किया गया।

मद संख्या 15 : सैद्धांतिक अनुमोदन की पुष्टि तथा मैसर्स आईएसटी लिमिटेड से विकासक में परिवर्तन के लिए अनुरोध

(निर्णय में औपचारिक अनुमोदन के अंतर्गत सूचीबद्ध हो चुका है)

मद संख्या 16 : एसईजेड में ड्यूटी ड्राबैक के दावे का भुगतान - डीसीसी एसईजेड को चेक बुक जारी न करना, संवितरण में विलंब; निर्यात के प्रमाण से संबंधित मुद्दे

जेडीसी केएसईजेड ने सूचित किया कि इस समस्या का समाधान हो चुका है।

पूरक एजेंडा II :

मद संख्या 1 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

(i) कच्छ, गुजरात में विद्युत एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स अडानी पावर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा निम्नलिखित को छोड़कर अनुबंध 1 में सूचीबद्ध अधिकृत प्रचालनों को मंजूरी प्रदान की गई :

- (i) मल्टी लेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित या मैनुअल)

यह भी निर्णय लिया गया कि गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में तथा एसईजेड से बाहर के क्षेत्र में विद्युत की बिक्री के संबंध में मानदंड तैयार किए जाएंगे तथा 22 जून 2007 तक उनको अंतिम रूप दिया जाएगा और यह कि यह अनुमोदन इस संबंध में निर्धारित मानदंडों द्वारा अभिशासित होगा।

- (ii) हेबबल औद्योगिक क्षेत्र, मैसूर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स इंफोसिस टेक्नोलाजी लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा निम्नलिखित को छोड़कर अनुबंध 2 में सूचीबद्ध अधिकृत प्रचालनों को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की गई कि सभी अनुमोदित अधिकृत प्रचालन प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर होंगे :

- (i) हाउसिंग अपार्टमेंट
- (ii) सम्मेलन केन्द्र
- (iii) एटीएम

- (iii) राजीव गांधी इनफोटेक पार्क, फेज 2, जिला पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स इनफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा निम्नलिखित को छोड़कर अनुबंध 3 में सूचीबद्ध अधिकृत प्रचालनों को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की गई कि सभी अनुमोदित अधिकृत प्रचालन प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर होंगे :

- (i) हाउसिंग अपार्टमेंट
- (ii) सम्मेलन केन्द्र
- (iii) एटीएम

- (iv) चेन्नई में डीएलएफ इनफो सिटी डवलपर्स (चेन्नई) लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स डीएलएफ असेट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुबंध 4 में सूचीबद्ध अधिकृत प्रचालनों को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की गई कि सभी अनुमोदित अधिकृत प्रचालन प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर होंगे।

(v) हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स डीएलएफ कामर्सियल डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा निम्नलिखित को छोड़कर अनुबंध 5 में सूचीबद्ध अधिकृत प्रचालनों को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की गई कि सभी अनुमोदित अधिकृत प्रचालन प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर होंगे :

- (i) पुलिस चौकी
- (ii) स्वचालित टेलर मशीन
- (iii) शॉपिंग आर्केड और/या रिटेल स्पेस
- (iv) व्यवसाय और/या सम्मेलन केन्द्र
- (v) आवासन और/या सर्विस अपार्टमेंट
- (vi) बस बे

(vi) गुड़गांव, हरियाणा में वस्त्र एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स ओरियंट क्राफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा निम्नलिखित को छोड़कर अनुबंध 6 में सूचीबद्ध अधिकृत प्रचालनों को मंजूरी प्रदान की गई :

- (i) कार्यालय स्थान, शॉपिंग आर्केड, रिटेल स्पेस और मल्टीप्लेक्स
- (ii) आवास
- (iii) होटल और सर्विस अपार्टमेंट
- (iv) क्लीनिक, चिकित्सा केन्द्र और अस्पताल
- (v) स्कूल, तकनीकी संस्था, शैक्षिक संस्था, स्टूडियो और वर्कशॉप के साथ फैशन और डिजाइन संस्थान
- (vi) व्यवसाय और सम्मेलन केन्द्र
- (vii) फायर स्टेशन
- (viii) रेल हेड
- (ix) स्वचालित टेलर मशीन
- (x) बस बे

(vii) कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स जिलियन एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा निम्नलिखित को छोड़कर अनुबंध 7 में सूचीबद्ध अधिकृत प्रचालनों को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की गई कि सभी अनुमोदित अधिकृत प्रचालन प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर होंगे :

- (i) शॉपिंग आर्केड और/या रिटेल स्पेस
- (ii) व्यवसाय और/या सम्मेलन केन्द्र
- (iii) स्वचालित टेलर मशीन
- (iv) आवासन और/या सर्विस अपार्टमेंट
- (v) खेल का मैदान
- (vi) बस बे

(viii) भुवनेश्वर, उड़ीसा में आईटी एसईजेड के क्षेत्रफल में अधिकृत प्रचालनों के लिए उड़ीसा औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा निम्नलिखित को छोड़कर अनुबंध 8 में सूचीबद्ध अधिकृत प्रचालनों को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की गई कि सभी अनुमोदित अधिकृत प्रचालन प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर होंगे :

- (i) हाउसिंग अपार्टमेंट
- (ii) एटीएम
- (iii) सर्विस अपार्टमेंट

(ix) गुड़गांव, हरियाणा में डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स डीएलएफ असेट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा निम्नलिखित को छोड़कर अनुबंध 9 में सूचीबद्ध अधिकृत प्रचालनों को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की गई कि सभी अनुमोदित अधिकृत प्रचालन प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर होंगे :

- (i) स्वचालित टेलर मशीन
- (ii) शॉपिंग अर्काडे और/या रिटेल स्पेस
- (iii) व्यवसाय और/या सम्मेलन केन्द्र

(x) हैदराबाद में डीएलएफ इनफो सिटी डवलपर्स लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स डीएलएफ असेट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा निम्नलिखित को छोड़कर अनुबंध 10 में सूचीबद्ध अधिकृत प्रचालनों को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की गई कि सभी अनुमोदित अधिकृत प्रचालन प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर होंगे :

- (i) शॉपिंग अर्काडे और/या रिटेल स्पेस
- (ii) व्यवसाय और/या सम्मेलन केन्द्र

मद संख्या 2 : एसईजेड के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

निर्णय उपर्युक्त कार्यवृत्त में शामिल हो चुका है।

मद संख्या 3 : एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली से पूर्व प्रदान किए गए अनुमोदन की पुष्टि के लिए डीएलएफ आकृति इनफो पार्क्स (पुणे) लिमिटेड का अनुरोध

इस मद को वापस ले लिया गया समझा गया क्योंकि मुख्य एजेंडा में इस पर विचार किया जा चुका है।

मद संख्या 4 : एसईजेड में एक से अधिक प्रसंस्करण क्षेत्र के अनुमोदन के लिए मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

मद संख्या 5 : बहु उत्पाद एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए महिंद्रा पोर्ट एंड एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

मद संख्या 6 : सामाजिक अवसंरचना प्रदान करने के लिए मुंद्रा एसईजेड के सह विकासक के लिए एडीकॉर्प मुंद्रा एसईजेड इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (एडीकॉर्प) का प्रस्ताव

मद संख्या 7 : कोई आम रास्ता न होने की आवश्यकता से छूट प्रदान करने के लिए गुजरात अडानी पोर्ट लिमिटेड (जीएपीएल) (अब मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड) का अनुरोध

एसईजेड में मौजूदा पोर्ट को शामिल करने के संबंध में राजस्व विभाग द्वारा उठाए गए मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त प्रस्तावों को आस्थगित करने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या 8 : सह विकासक के लिए अनुरोध

(i) इडको इनफोसिटी एसईजेड, भुवनेश्वर, उड़ीसा में सह विकासक के लिए मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने इडको इनफोसिटी एसईजेड, भुवनेश्वर, उड़ीसा में सह विकासक के लिए मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के अनुरोध पर विचार किया तथा उसे मंजूरी प्रदान की।

(ii) कोयंबटूर, तमिलनाडु में मैसर्स कोयंबटूर हाइटेक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स केजीआईएसएल आईटी पार्क्स इंडिया लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने कोयंबटूर, तमिलनाडु में मैसर्स कोयंबटूर हाइटेक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स केजीआईएसएल आईटी पार्क्स इंडिया लिमिटेड के अनुरोध पर विचार किया तथा उसे मंजूरी प्रदान की।

(iii) रामापुरम, चेन्नई में डीएलएफ इनफो सिटी डवलपर्स (चेन्नई) लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स डीएलएफ जीएसके टेक्नोलाजी पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने रामापुरम, चेन्नई में डीएलएफ इनफो सिटी डवलपर्स (चेन्नई) लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स डीएलएफ जीएसके टेक्नोलाजी पार्क प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध पर विचार किया तथा उसे मंजूरी प्रदान की।

(iv) तिरुवनंतपुरम, केरल में इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी पार्क (केरल) (टेक्नो पार्क) द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स यूएस टेक्नोलाजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने तिरुवनंतपुरम, केरल में इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी पार्क (केरल) (टेक्नो पार्क) द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स यूएस टेक्नोलाजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध पर विचार किया तथा उसे मंजूरी प्रदान की।

(v) तिरुवनंतपुरम, केरल में इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी पार्क (केरल) (टेक्नो पार्क) द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स इंफोसिस टेक्नोलाजीज लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने तिरुवनंतपुरम, केरल में इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी पार्क (केरल) (टेक्नो पार्क) द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के अनुरोध पर विचार किया तथा उसे मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 9 : पुष्टि / औपचारिक अनुमोदन तथा नोएडा ग्लोबल एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड के नाम में अनुमोदन के अंतरण के लिए नोएडा ग्लोबल एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

राज्य सरकार के अनुरोध पर प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित कर दिया गया।

मद संख्या 10 : द्रोणगिरि, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद एसईजेड की स्थापना के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि 9 मई 2007 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार राजस्व विभाग ने मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त, मुंबई की रिपोर्ट परिचालित की है और यह कि उक्त निरीक्षण रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों पर विस्तृत टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया कि एनएमएसईजेड का प्रस्ताव सिडको के साथ संयुक्त उद्यम है और राज्य सरकार को विश्वास है कि सन्निकटता के मुद्दे तथा किसी अन्य मुद्दे का पर्याप्त रूप से निराकरण किया जा सकता है। तथापि, अनुमोदन बोर्ड ने यह राय व्यक्त की कि कोई निर्णय लेने से पूर्व राज्य सरकार तथा विकासक की विस्तृत टिप्पणियां अपेक्षित हैं। इसे ध्यान में रखते हुए अनुमोदन बोर्ड ने निर्देश दिया कि राज्य सरकार और विकासक से टिप्पणियां प्राप्त की जाएं और औपचारिक अनुमोदन तथा इस एसईजेड के लिए सह विकासक की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

22 जून 2007 को आयोजित होने वाली अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विचार करने के लिए प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया।

मद संख्या 11 : एसईजेड का क्षेत्रफल 10.10 हेक्टेयर से बढ़ाकर 21.80 हेक्टेयर करने के लिए रॉयल पाम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकास आयुक्त ने एसईजेड का क्षेत्रफल 10.10 हेक्टेयर से बढ़ाकर 21.80 हेक्टेयर करने के लिए रॉयल पॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

अडानी पावर प्राइवेट लिमिटेड

- (i) रोड नेटवर्क, स्ट्रीट लाइट, लैंड स्केपिंग
- (ii) सीवरेज नेटवर्क, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट
- (iii) फायर स्टेशन और फायर प्रोटेक्शन सिस्टम
- (iv) जलापूर्ति नेटवर्क, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट
- (v) निस्सारी शोधन संयंत्र
- (vi) परियोजना रिपोर्ट के अनुसार विद्युत उत्पादन
- (vii) कामगार कैंटीन, कैफेटेरिया, चिकित्सा केन्द्र जैसी सुविधाएं
- (viii) कार्यालय स्थान
- (ix) इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित दूरसंचार तथा अन्य संचार सुविधाएं
- (x) एसईजेड के अंदर रेल हेड

इनफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड - मैसूर, कर्नाटक

1. कर्मचारी देखरेख केंद्र जैसे कि क्रेच
2. मनोरंजन की सुविधाएं
3. फूड कोर्ट
4. स्वीमिंग पूल
5. इंडोर / आउटडोर गेम्स
6. मेडिकल सेंटर
7. दूरसंचार तथा अन्य संचार सुविधाएं
8. लैंड स्केपिंग और वाटर बाडीज
9. वर्षा जल संचयन
10. रोड और ड्रेन
11. वाटर पाइप नेटवर्क बिछाना
12. जल शोधन संयंत्र
13. विद्युत पावर बैकअप की सुविधाओं सहित
14. सीवेज शोधन संयंत्र
15. एयर कंडिशनिंग
16. फायर प्रोटेक्शन सिस्टम
17. मल्टीलेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग
18. इंटरनेट कनेक्टिविटी
19. सुरक्षा सेवाएं

उपर्युक्त सभी गतिविधियां केवल प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए अनुमत होंगी।

इनफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड - पुणे, महाराष्ट्र

1. कर्मचारी देखरेख केंद्र जैसे कि क्रेच
2. मनोरंजन की सुविधाएं
3. फूड कोर्ट
4. स्वीमिंग पूल
5. इंडोर / आउटडोर गेम्स
6. मेडिकल सेंटर
7. दूरसंचार तथा अन्य संचार सुविधाएं
8. लैंड स्केपिंग और वाटर बाडीज
9. वर्षा जल संचयन
10. रोड और ड्रेन
11. वाटर पाइप नेटवर्क बिछाना
12. जल शोधन संयंत्र
20. विद्युत पावर बैकअप की सुविधाओं सहित
21. सीवेज शोधन संयंत्र
22. एयर कंडिशनिंग
23. फायर प्रोटेक्शन सिस्टम
24. मल्टीलेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग
25. इंटरनेट कनेक्टिविटी
26. सुरक्षा सेवाएं

उपर्युक्त सभी गतिविधियां केवल प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए अनुमत होंगी।

डीएलएफ असेट्स प्राइवेट लिमिटेड

1. कार्यालय स्थान (वार्म शेल)
2. विद्युत उत्पादन और डीजी सेट के माध्यम से पावर बैकअप की सुविधाएं
3. एयर कंडीशनिंग और चिलर
4. शॉपिंग अर्काडे और/या रिटेल स्पेस
5. व्यवसाय और/या सम्मेलन केन्द्र
6. कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस
7. क्लीनिक और मेडिकल सेंटर
8. वाई फाई और/या वाई मैक्स सेवाएं

उपर्युक्त सभी गतिविधियां केवल प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए अनुमत होंगी।

डीएलएफ कामर्सियल डवलपर्स लिमिटेड

- (i) स्ट्रीट लाइट, सिग्नल तथा साइनेज के साथ सड़कें
- (ii) जल शोधन संयंत्र, जलापूर्ति लाइनें (स्रोत तक समर्पित लाइनें), सीवेज लाइनें, स्टार्म वाटर ड्रेन तथा उपयुक्त क्षमता के वाटर चैनल
- (iii) सीवेज एवं कूड़ा निस्तारण संयंत्र, पाइप लाइनें तथा सीवेज के लिए अन्य आवश्यक अवसंरचना और कचरा निस्तारण, सीवेज शोधन संयंत्र
- (iv) उपयुक्त क्षमता के आवश्यक सब स्टेशन, पाइप लाइन नेटवर्क आदि सहित इलेक्ट्रिकल, गैस एवं पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वितरण नेटवर्क
- (v) स्थल के अंदर तथा परिधि के समानांतर प्रवेश, निकास तथा अन्य बिंदुओं पर सुरक्षा कार्यालय आदि
- (vi) निस्सारी शोधन संयंत्र तथा पाइप लाइनें और निस्सारी शोधन के लिए अन्य आधारभूत सुविधाएं
- (vii) कार्यालय स्थान (बेयर शेल)
- (viii) मल्टी लेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित या मैनुअल)
- (ix) इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित दूरसंचार तथा अन्य संचार सुविधाएं
- (x) वर्षा जल संचयन संयंत्र
- (xi) विद्युत (पावर बैकअप की सुविधाओं सहित)
- (xii) एयर कंडिशनिंग
- (xiii) स्वीमिंग पूल
- (xiv) स्प्रिंकलर, फायर और स्मोक डिटेक्टर के साथ फायर प्रोटेक्शन सिस्टम
- (xv) क्लब हाउस, इंडोर या आउटडोर गेम, जिम सहित मनोरंजन की सुविधाएं
- (xvi) कर्मचारी कल्याण सुविधाएं जैसे कि क्रेच, चिकित्सा केन्द्र तथा ऐसी अन्य सुविधाएं
- (xvii) पारस्परिक संयोजकता के साथ सामान्य डाटा केन्द्र
- (xviii) खेल का मैदान
- (xix) कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस
- (xx) लैंडस्केपिंग तथा वाटर बॉडीज
- (xxi) क्लीनिक और मेडिकल सेंटर
- (xxii) वाई फाई और/या वाई मैक्स सेवाएं
- (xxiii) ड्रिप एवं माइक्रो सिंचाई प्रणालियां

क्रमांक **xxvii** को छोड़कर उपर्युक्त सभी गतिविधियां केवल प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए अनुमत होंगी।

ओरिएंट क्राफ्ट इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

- (i) स्ट्रीट लाइट, सिग्नल तथा साइनेज के साथ सड़कें
- (ii) उपयुक्त क्षमता के जल शोधन संयंत्र, जलापूर्ति लाइनें, सीवेज लाइनें, स्टार्म वाटर ड्रेन तथा वाटर चैनल
- (iii) सीवेज एवं कूड़ा निस्तारण संयंत्र, पाइप लाइनें तथा सीवेज के लिए अन्य आवश्यक अवसंरचना और कचरा निस्तारण, सीवेज शोधन संयंत्र
- (iv) उपयुक्त क्षमता के आवश्यक सब स्टेशन, पाइप लाइन नेटवर्क आदि सहित इलेक्ट्रिकल, गैस एवं पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वितरण नेटवर्क
- (v) स्थल के अंदर तथा परिधि के समानांतर प्रवेश, निकास तथा अन्य बिंदुओं पर सुरक्षा कार्यालय, पुलिस चौकियां आदि
- (vi) निस्सारी शोधन संयंत्र तथा पाइप लाइनें और निस्सारी शोधन के लिए अन्य आधारभूत सुविधाएं
- (vii) मल्टीलेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित या मैनुअल)
- (viii) इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित दूरसंचार तथा अन्य संचार सुविधाएं
- (ix) पारस्परिक संयोजकता के साथ सामान्य डाटा केन्द्र
- (x) वर्षा जल संचयन संयंत्र
- (xi) विद्युत (पावर बैकअप की सुविधाओं सहित)
- (xii) प्रवेश नियंत्रण तथा निगरानी प्रणाली
- (xiii) स्वीमिंग पूल
- (xiv) स्प्रिंकलर, फायर और स्मोक डिटेक्टर के साथ फायर प्रोटेक्शन सिस्टम
- (xv) क्लब हाउस, इंडोर और आउटडोर गेम तथा जिम सहित मनोरंजन की सुविधाएं
- (xvi) कर्मचारी कल्याण की सुविधाएं जैसे कि क्रेच, चिकित्सा केन्द्र तथा ऐसी अन्य सुविधाएं
- (xvii) खेल के मैदान
- (xviii) कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस
- (xix) लैंडस्केपिंग तथा वाटर बॉडीज
- (xx) वाई फाई और वाई मैक्स सेवाएं
- (xxi) ट्रिप एवं माइक्रो सिंचाई प्रणालियां

जिलियन एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड

- (i) स्ट्रीट लाइट, सिग्नल तथा साइनेज के साथ सड़कें
- (ii) जल शोधन संयंत्र, जलापूर्ति लाइनें (स्रोत तक समर्पित लाइनें), सीवेज लाइनें, स्टार्म वाटर ड्रेन तथा उपयुक्त क्षमता के वाटर चैनल
- (iii) सीवेज एवं कूड़ा निस्तारण संयंत्र, पाइप लाइनें तथा सीवेज के लिए अन्य आवश्यक अवसंरचना और कचरा निस्तारण, सीवेज शोधन संयंत्र
- (iv) उपयुक्त क्षमता के आवश्यक सब स्टेशन, पाइप लाइन नेटवर्क आदि सहित इलेक्ट्रिकल, गैस एवं पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वितरण नेटवर्क
- (v) स्थल के अंदर तथा परिधि के समानांतर प्रवेश, निकास तथा अन्य बिंदुओं पर सुरक्षा कार्यालय, पुलिस चौकियां आदि
- (vi) निस्सारी शोधन संयंत्र तथा पाइप लाइनें और निस्सारी शोधन के लिए अन्य आधारभूत सुविधाएं
- (vii) कार्यालय स्थान
- (viii) मल्टीलेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित या मैनुअल)
- (ix) इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित दूरसंचार तथा अन्य संचार सुविधाएं
- (x) वर्षा जल संचयन संयंत्र
- (xi) विद्युत (पावर बैकअप की सुविधाओं सहित)
- (xii) एयर कंडिशनिंग
- (xiii) स्वीमिंग पूल
- (xiv) स्प्रिंकलर, फायर और स्मोक डिटेक्टर के साथ फायर प्रोटेक्शन सिस्टम
- (xv) क्लब हाउस, इंडोर या आउटडोर गेम, जिम सहित मनोरंजन की सुविधाएं
- (xvi) कर्मचारी कल्याण सुविधाएं जैसे कि क्रेच, चिकित्सा केन्द्र तथा ऐसी अन्य सुविधाएं
- (xvii) कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस
- (xviii) लैंडस्केपिंग तथा वाटर बॉडीज
- (xix) क्लीनिक और मेडिकल सेंटर
- (xx) वाई फाई और/या वाई मैक्स सेवाएं
- (xxi) ड्रिप एवं माइक्रो सिंचाई प्रणालियां

क्रमांक xxvii को छोड़कर उपर्युक्त सभी गतिविधियां केवल प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए अनुमत होंगी।

उड़ीसा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कार्पोरेशन

- (i) सीवेज नेटवर्क, सीवेज शोधन संयंत्र, कचरा निस्तारण संयंत्र, पाइप लाइन तथा सीवेज एवं कूड़ा निस्तारण के लिए अन्य अवसंरचना
- (ii) जल शोधन संयंत्र, जलापूर्ति लाइनें, निस्सारी शोधन संयंत्र
- (iii) विद्युत
- (iv) पावर बैकअप की सुविधा
- (v) कार्यालय स्थान
- (vi) सुरक्षा कार्यालय
- (vii) पार्किंग
- (viii) एयर कंडिशनिंग
- (ix) कामगार कैंटीन, कैफेटीरिया, फूड कोर्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट जैसी सुविधाएं
- (x) कर्मचारी कल्याण की सुविधाएं जैसे कि चिकित्सा केन्द्र तथा ऐसी अन्य सुविधाएं
- (xi) आवश्यक आवास तथा अतिथि सत्कार की सुविधाएं जैसे कि स्वीमिंग पूल आदि।
- (xii) रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस
- (xiii) स्प्रिंकलर, फायर और स्मोक डिटेक्टर के साथ फायर प्रोटेक्शन सिस्टम

उपर्युक्त सभी गतिविधियां केवल प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए अनुमत होंगी।

डीएलएफ साइबर सिटी (हरियाणा) द्वारा विकसित किए जाने वाले एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए डीएलएफ असेट्स प्राइवेट लिमिटेड

1. कार्यालय स्थान
2. मल्टी लेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित या मैनुअल)
3. इंटरनेट कनेक्टिविटी
4. पावर बैकअप की सुविधाओं सहित विद्युत उत्पादन की सुविधाएं
5. एयर कंडिशनिंग
6. स्प्रिंकलर, फायर और स्मोक डिटेक्टर के साथ फायर डिटेक्शन और सप्रेसन सिस्टम
7. क्लब हाउस, इंडोर और/या आउटडोर गेम्स, जिम सहित मनोरंजन की सुविधाएं
8. कर्मचारी कल्याण सुविधाएं जैसे कि क्रेच, चिकित्सा केन्द्र
9. फूड सर्विस - कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस
10. वाई फाई और/या वाई मैक्स सेवाएं
11. डाटा केंद्र

उपर्युक्त सभी गतिविधियां केवल प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए अनुमत होंगी।

डीएलएफ इनफो सिटी डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (हैदराबाद) द्वारा विकसित किए जाने वाले एसईजेड में सह विकासक के रूप में डीएलएफ असेट्स प्राइवेट लिमिटेड

1. कार्यालय स्थान (वार्म शेल)
2. विद्युत उत्पादन और डीजी सेट के माध्यम से पावर बैकअप की सुविधाएं
3. एयर कंडीशनिंग और चिलर
4. कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस
5. क्लीनिक और मेडिकल सेंटर
6. वाई फाई और/या वाई मैक्स सेवाएं

उपर्युक्त सभी गतिविधियां केवल प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए अनुमत होंगी।

वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में 31 मई, 2007 को आयोजित विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए अनुमोदन बोर्ड की बैठक के प्रतिभागियों की सूची

1. श्री जी के पिल्लई, वाणिज्य सचिव, वाणिज्य विभाग- अध्यक्ष
2. श्री राव रणविजय सिंह, सदस्य (आईटी), सीबीडीटी
3. श्री दिनेश वर्मा, सीआईटी (आईटीए), सीबीडीटी
4. श्री देवेंद्र दत्त, सदस्य (सीबीईसी), राजस्व विभाग
5. श्री जे के बत्रा, डीजीईपी, सीबीईसी
6. श्री बी के जुनेजा, एडीजी (ईपी), सीबीईसी
7. श्री सुधीर कुमार, प्रधान सचिव एवं रेजीडेंट आयुक्त, कर्नाटक सरकार, नई दिल्ली
8. श्री विशाल देव, प्रबंध निदेशक, उड़ीसा औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम, भुवनेश्वर, उड़ीसा
9. श्री आर जे शाह, प्रमुख मुख्य औद्योगिक सलाहकार, उद्योग आयुक्त गांधीनगर, गुजरात
10. श्री वी के जयरथ, प्रमुख सचिव, उद्योग, महाराष्ट्र
11. श्री बी सैम बॉब, प्रधान सचिव (उद्योग एवं वाणिज्य विभाग), आंध्र प्रदेश सरकार
12. श्री एस के जोशी, सचिव (आईटीईएस), आंध्र प्रदेश सरकार
13. श्री ललित श्रीवास्तव, अध्यक्ष, नोएडा, उत्तर प्रदेश
14. श्री अर्चना अग्रवाल, सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
15. श्री यशपाल सिंह, ओएसडी, नोएडा प्राधिकरण, नोएडा, उत्तर प्रदेश
16. श्री पी के चौधरी, प्रधान सचिव, आईटी, हरियाणा
17. श्री अशोक संपतराम, प्रधान सचिव, उद्योग, महाराष्ट्र
18. श्री अरुण कुमार झा, निदेशक, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
19. श्री कुलदीप रांका, एमडी, रीको
20. श्री वीपी सिंह, सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
21. श्री एस एन जिंदल, डीजी, एसटीपीआई, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
22. श्री बी एस कृष्ण प्रसाद, रेजीडेंट निदेशक, कर्नाटक सरकार, कर्नाटक भवन, नई दिल्ली
23. श्री एल बी सिंघल, महानिदेशक, ईपीसीईएस

विकास आयुक्त

24. श्री सुरेश चंद्र पांडा, विकास आयुक्त, नोएडा एसईजेड, उत्तर प्रदेश
25. श्री बी विजयन, विकास आयुक्त, एमईपीजेड, चेन्नई, तमिलनाडु
26. श्री एन सग्गी, विकास आयुक्त, मुंबई, महाराष्ट्र
27. श्री सी जे मैथ्यू, विकास आयुक्त, सीएसईजेड, कोचीन
28. श्री अरुण कुमार बिट, विकास आयुक्त, फाल्टा एसईजेड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
29. श्री उपेंद्र वशिष्ठ, विकास आयुक्त, कांडला एसईजेड, गांधीधाम, गुजरात

31 मई, 2007 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 12वीं बैठक का कार्यवृत्त

30. श्री एस के बंसल, विकास आयुक्त, आईएसईजेड, इंदौर, मध्य प्रदेश
31. श्री डॉ. एम वी सुब्बा रेड्डी, जेडीसी, वीएसईजेड
32. श्री एसके सामल, संयुक्त डीजीएफटी, डीजीएफटी का कार्यालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली

वाणिज्य विभाग

33. श्री अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग
34. श्री योगेन्द्र गर्ग, निदेशक, वाणिज्य विभाग
35. श्री पी वी शिवरामन (उप सचिव), वाणिज्य विभाग
36. श्रीमती श्रीमती बी रवींद्रन, अवर सचिव, वाणिज्य विभाग
37. श्रीमती जी वी जिंगखली, अवर सचिव, वाणिज्य विभाग